

पत्रांक-04/NULM-65/16 1966 / नाविण्य/संसाधन

**बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।**

प्रेषक,

सेवा में,

परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम,
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत।

विषय- नगर निकायों में गठित Town Vending Committee द्वारा Street Vendor Charter प्रकाशित किये जाने के संबंध में।

महाराज,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के धारा 26 (1) के अनुपालन में नगर निकायों में गठित Town Vending Committee द्वारा Street Vendor Charter तैयार कर प्रकाशित किया जाना है। चार्टर में मुख्यतः निकायों में वर्णित अधिनियम के तहत सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेताओं के पंजीकरण, पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने तथा इस हेतु शुल्क आदि के प्रावधान के संबंध में तय समय सीमा का उल्लेख किया जाना है।

अतः Street Vendor Charter का प्रारूप संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे अपने निकाय स्तर से अविलम्ब प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।
31.10.2020

विश्वासभाजन,

परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

कार्यालय-नगर पंचायत नवगछिया, भागलपुर

फुटपाथ विक्रेता चार्टर

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014, की धारा 26 के अंतर्गत नगर विक्रय समिति नगर पंचायत नवगछिया द्वारा पथ विक्रेता से संबंधित क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किए जाने हैं।

क्र. सं.	सेवाएं	अपेक्षित दस्तावेज (प्रतिदिन)	फीस	समयवधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सकें
1	2	3	4	5	6	7
1	पंजीकरण	1. परिकार का फोटो 2. फुटपाथ विक्रेता का फोटो 3. आधार कार्ड की प्रतिलिपि 4. मोबाइल App के द्वारा GIS आधारित सर्वेक्षण	निशुल्क	7 दिन	नगर निगम प्रबंधक 1. श्री रंजीत कुमार (नगर निगम प्रबंधक) 2. संदीप कुमार वर्मा (नगर निगम प्रबंधक)	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत नवगछिया
2	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र का जारी करने हेतु	1. SULM बैचसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी।	निशुल्क	सर्वेक्षण में विहित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छ महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया	नगर निगम प्रबंधक 1. श्री रंजीत कुमार (नगर निगम प्रबंधक) 2. संदीप कुमार वर्मा (नगर निगम प्रबंधक)	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत नवगछिया
3	विक्रय प्रमाण पत्र का जारी करने हेतु	1. SULM बैचसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी।	निशुल्क	सर्वेक्षण में विहित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छ महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया जाना है।	नगर निगम प्रबंधक 1. श्री रंजीत कुमार (नगर निगम प्रबंधक) 2. संदीप कुमार वर्मा (नगर निगम प्रबंधक)	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत नवगछिया
4	प्रत्येक पंजीकृत फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र एवं नवीनतम सर्वे द्वारा किए गए पंजीकरण के आधार पर नवीकरण हेतु	1. पुनरा निर्गत फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र एवं नवीनतम सर्वे द्वारा किए गए पंजीकरण के आधार पर	विक्रय प्रमाण पत्र का नवीकरण हेतु-500/रु.	दो महीने के अंदर	नगर निगम प्रबंधक 1. श्री रंजीत कुमार (नगर निगम प्रबंधक) 2. संदीप कुमार वर्मा (नगर निगम प्रबंधक)	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत नवगछिया
5	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र duplicate निर्गत करने हेतु	1. नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध डाटा/दस्तावेज के आधार पर	50/रु.	7 दिन	नगर निगम प्रबंधक 1. श्री रंजीत कुमार (नगर निगम प्रबंधक) 2. संदीप कुमार वर्मा (नगर निगम प्रबंधक)	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत नवगछिया

Ranjit Kumar
अधिकृत अधिकारी
-सह-
नगर निगम प्रबंधक
नगर पंचायत नवगछिया

Sandeep Kumar
अधिकृत अधिकारी
-सह-
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत नवगछिया
May 31/11/2020